प्रेषक,

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

विषयः- हरदुआगंज 1×660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-167/उ0नि0लि0/नि0(वित्त)/, दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरदुआगंज 1×660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रूपये 162,08,58,000/- (रूपये एक सौ बासठ करोड़ आठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र) स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह दिसम्बर, 2020 से माह मार्च, 2021 तक धनराशि रूपये 40,52,14,500/- (रूपये चालिस करोड़ बावन लाख चौदह हजार पॉच सौ मात्र) की चार समान मासिक किश्तों में वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

4- उपर्युक्त धनराशि का आहरण के बाउचर संख्या तथा तिथि की सूचना मिलान कार्य हेतु तत्काल शासन को तथा निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/ लखनऊ एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा बिल को प्रतिहस्ताक्षार हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। देयक के साथ परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा परियोजना हेतु वित्तीय संस्थाओं से आहरण के ऋण की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://srasanadesh.up.nic.in

7- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

8- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1416-हरदुआगंज विस्तार (1×660 मेगावाट) -द्वितीय -30-निवेश/ऋण " के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 256 /दस-2020, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 108 /2020/1425(1)/24-1-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- राज्य योजना आयोग-1
7- संबंधित सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in